न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
45/2022	111,128 LRA	17.06.2022	05.07.2022

1. कमला देवी पुत्री नागरमल जाति कुम्हार निवासीनी वार्ड नं. 24 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. गीता देवी पत्नी नागरमल जाति कुम्हार निवासीनी वार्ड नं. 18 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. तुलसीराम पुत्र नागरमल जाति कुम्हार निवासी मकान नं. 391 रानीसति निर्माण नगर जयपुर (राज.)
4. मुरलीधर पुत्र नागरमल जाति कुम्हार निवासी मकान नं. ए बी 533, निर्माण नगर जयपुर (राज.)
5. महावीरप्रसाद पुत्र नागरमल जाति कुम्हार निवासी मकान नं. ई 102 रामपथ श्यामनगर जयपुर (राज.)
6. हनुमानप्रसाद पुत्र नागरमल जाति कुम्हार निवासी नया बास चूरू (राज.) जरिये मुखत्यारनामा प्रार्थी नं. 1 ता 6 विमलादेवी पुत्री नागरमल पत्नी जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासीनी बिसाऊ रोड़ चूरू (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार चूरू

–अप्रार्थी–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री आनन्द बालाण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से जरिये मुखत्यारनामा विमलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति कुम्हार निवासीनी बिसाऊ रोड चूरू द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण कस्बा चूरू व कस्बा जयपुर के स्थाई निवासी है व प्रार्थीगण की कृषि भूमि कस्बा चूरू में स्थित है जिसका खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2185/265 तादादी 4.1860 हैक्टेयर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:49 IST
Reason: Self Attested

यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2185/265 तादादी 4.1860 हैक्टेयर का प्रार्थी ने दिनांक 17.08.2021 को भू–प्रबंध विभाग सीकर की टीम व तहसीलदार महोदय व हल्का पटवारी चूरू की टीम से पैमाईश करवाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि की मौके पर निशान देही कराई गई।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि की मात्र निशान देही की मांग की गई इसलिए भू–प्रबन्धक विभाग सीकर की टीम व चूरू के राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों ने मात्र उक्त खसरा नम्बर की निशान देही की है।

खसरा नम्बर 2185 / 265 की कृषि भूमि के पड़ौसी खातेदारों द्वारा कृषि भूमि की मिट्‌टी आदि को हटाने के कारण व पड़ौसी खातेदार अपनी कृषि भूमि को समतल करने से जो निशान देही राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई थी वह निशान देही अस्पष्ट व नष्ट हो गई ।

प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार एवं निशान देही आधार पर पुख्ता सीमांकन करने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के पड़ौसी प्रार्थीगण से झगड़ा करने पर आतुर हो जाते हैं और विवाद व खून खराबा होने की सम्भावना हो जाती है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालय से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर भू–प्रबन्धक अधिकारियों द्वारा की गई सीमाज्ञान के आधार एवं मौके पर नाप करवाकर पत्थरगढी कर सीमांकन स्पष्ट करवाना चाहता है ताकि प्रर्थीगण के साथ किसी से भी विवाद न हो एवं प्रार्थी शान्तिपूर्वक अपने खेत को काश्त कर सके।

हल्का पटवारी एवं भू–प्रबन्धक अधिकारियों से निशान देही के आधार पर पत्थरगढी का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम मौके पर निशान देही कर सकते हैं। जब तक सक्षम न्यायालय का आदेश पत्थरगढी के लिए नही हो जाता तब तक वह कानूनन पत्थर गढी नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि को जो राजस्व अभिलेख भू–प्रबन्धक अधिकारियों की निशान देही के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाकर शान्तिपूर्वक काश्त करना चाहता है। ताकि भविष्य में नीव सींव को लेकर प्रार्थीगण का भी किसी के साथ विवाद ना हो।

तहसीलदार चूरू भूमीधारक अधिकारी होने के कारण एवं सभी प्रक्रिया श्रीमान् तहसीलदार को करनी है इसलिए तहसीलदार पक्षकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कस्बा चूरू में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2185 / 265 की तादादी 4.1860 [illegible] की पत्थरगढी राजस्व रिकॉर्ड एवं भू–प्रबन्धक अधिकारी के [illegible] अनुभवी पटवारी व गिरदावर एवं भू–प्रबन्धक सीकर की टीम [illegible] राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रार्थीगण के खर्चे से करवाये जाने के आदेश [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया जिसके विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थीगण के उक्त

खसरे की निशान देही भू–प्रबन्धक विभाग, सीकर की टीम द्वारा दिनांक 17.08.2021 को राजस्व टीम की मौजूदगी में करवायी गयी थी। पुनः पुलिस विभाग द्वारा चाहे जाने पर दिनांक 18.05.2022 को भू– प्रबन्धक विभाग द्वारा राजस्व विभाग की टीम व पुलिस की मौजूदगी में सर्वे किया गया जो पूर्ण नहीं हो सका था। इसलिए भू–प्रबन्धक विभाग सीकर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2186/265 की पत्थरगढी की जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से उभय पक्ष की बहस सुनने हेतु निवेदन किया । जिस पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है व निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कस्बा चूरू में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2185/265 की तादादी 4.1860 हैक्टेयर की पत्थरगढी राजस्व रिकॉर्ड एवं भू–प्रबन्धक अधिकारी के निशान देही के अनुसार अनुभवी पटवारी व गिरदावर एवं भू–प्रबन्धक विभाग सीकर की टीम मय पुलिस इमदाद के राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रार्थीगण के खर्चे से करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। पैरोकार राज ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया जिसके विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी के उक्त खसरे की निशान देही भू–प्रबन्धक विभाग, सीकर की टीम द्वारा दिनांक 17.08.2021 को राजस्व टीम की मौजूदगी में करवायी गयी थी। पुनः पुलिस विभाग द्वारा चाहे जाने पर दिनांक 18.05.2022 को भू– प्रबन्धक विभाग द्वारा राजस्व विभाग की टीम व पुलिस की मौजूदगी में सर्वे किया गया जो पूर्ण नहीं हो सका था। इसलिए भू–प्रबन्धक विभाग सीकर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2185/265 की पत्थरगढी की जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात व जवाब पैरोकार राज के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है उक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान पूर्व में हुआ है जिसमें वर्तमान में विवाद की स्थिति है तथा कि जिसके स्थाई समाधान के लिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका नियमानुसार प्रार्थीगण को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस ... के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं ... तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः ... को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम चूरू तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 2185/265 तादादी 4.1860 हैक्टेयर का अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 05.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:49 IST
Reason: SelfAttested